तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मदनलाल वगै बनाम हरिराम वगै अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर –170 / 2021	
22/12/23	पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 वकील द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र बहस हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली मे जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र पूर्व मे शामिल मिसल है। बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया गया की मौजारोही करनाणा ताल तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 702 / 40 मे से रास्ता स्वीकृत करने बाबत प्रार्थना पत्र मिथ्या बनावटी एवं वास्तविक तथ्यों को छूपाकर वेग कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज करने योग्य है। प्राथीगण की खातेदारी भ्ज्ञूमि मौजा रोही करनाणा ताल के मूल खसरा नम्बर 106 बट्टा नम्बर 106 / 1 में स्थित है। नक्शा में खसरा नम्ब्र 106 विभाजित किया हुआ नहीं है। खसरा नम्बर 106 के उत्तर एवं पश्चिम दिशा मे चिपता हुआ स्वीकृत रास्ता है जो प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 106 के उत्तर दिशा एवं पश्चिम दिशा में स्थित है। इसलिए प्रार्थीगण का यह कथन की उके खेत से एक खेत दूर कटानी रास्ता है मिथ्या एवं बनावटी है। खसरा नम्बर 106 एवं खसरा नम्बर 40 के अन्य खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है। क्योंकि खसरा नम्बर 40 व 106 नक्शा मे अलग अलग तरमीम नहीं किया हुआ है मात्र जमाबन्दी में खाता अलग दर्ज है जब तक नक्शा में खसरा नम्बर अलग तरमीम नहीं हो जाता हळै जब तक उस खसरा की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का कब्जा एवं काश्त मानी जावेगी। प्रार्थीग्ण के खेत में आने जाने का स्वीकृत रास्ता पहले से मौजूद है इसलिए प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है प्रार्थीगण सुविधा बढाने के लिए नया रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जसका कोई अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए प्रिव्यु मे नहीं आता है। अतः अप्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रिमच्योर होने के करण खारिज योग्य है। मय कॉस्ट खारिज किया जावे। प्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुवे कहा गया की उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या जिस प्रकार लिखा गया है स्वीकार नहीं है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित है उसका उपयोग 70 वर्षो से भी नहीं हुआ है क्यों कि ग्राम ढाणी पुरवाणा से खोडाला तक रास्ता खुलवाना सम्भव नहीं है क्योंकि उसके पास ही रास्ता 70 वर्षो से चल रहा है उक्त रास्ते मे पुराने समय से मुड डाल रखी है जिसका उपयोग हो रहा है अभी भी चालु है जो स्वीकृत रास्ते से दो तीन बीघा दूर स्थित है। स्वीकृतशुदा रास्ते को खुलवाने के लिए ग्रामिणो द्वारा काफी पहले प्रयास किया था किन्तु लगभग 12 किमी दूर तक खुलवाना सम्भव नहीं हुआ विवाद बढने की सम्भावना अधिक होती है। अतः प्रार्थी वकील द्वारा प्राथमिक आपत्ति खारिज करते हुए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। हमने पत्रावली को अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी करनाणाताल संवत् 2072 के खसरा नम्बर 106 / 1 में तादादी 38.05 बीघा बारानी हैं। नजरी नक्शा का अवलोकन किया । राज पैरोकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट मे खसरा नम्बर 49 मे गैर मुमकिन रास्ता अराजीराज दर्ज रेकार्ड है जो उक्त प्रार्थी की भूमि से सटता हुआ नक्शे मे पुराना कटानी रास्ता खसरा नम्बर 49 मे जिसे प्रार्थी द्वारा स्वयं ही बन्द करने से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

हमने बहस प्राथमिक आपति प्रार्थना पत्र का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वांछित उक्त रास्ता बिना तरमीम नक्शा के ही चाहा गया है अर्थात् वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ता का अंकन नहीं है। अतः स्पष्ट है की उक्त प्रार्थना पत्र मे वांछित रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251ए के प्रावधानो के विपरित है। अतः वांछित रास्ता भूमि की स्थिति स्पष्ट न होने के अभाव में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत हमें रास्ता स्वीकृत के आदेश देना नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251ए के प्रावधानो के विपरित होने के कारण वकील अप्रार्थीगण द्वारा पेश प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22/12/2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर